

## विषय सूची

	अनुच्छेद	पृष्ठ
प्रस्तावना		vii
कार्यकारी सार		ix-xiv
<b>अध्याय-1</b>		
<b>विहंगावलोकन</b>		
राज्य का प्रोफाइल	1.1	1-2
राज्य का सकल राज्य घरेलू उत्पाद	1.1.1	1-2
राज्य के वित्त पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन का आधार एवं दृष्टिकोण	1.2	3
प्रतिवेदन की संरचना	1.3	3-4
सरकारी लेखा संरचना एवं बजटीय प्रक्रियाओं का विहंगावलोकन	1.4	4-8
वित्तों के स्नैपशॉट	1.4.1	7-8
सरकार की परिसंपत्तियों एवं दायित्वों का स्नैपशॉट	1.4.2	8
राजकोषीय शेष: घाटे और कुल ऋण लक्ष्यों की प्राप्ति	1.5	9-12
लेखापरीक्षा में जांच के बाद घाटा और कुल ऋण	1.6	12-14
राजस्व और राजकोषीय घाटे पर प्रभाव	1.6.1	12
लेखापरीक्षा पश्चात - कुल लोक ऋण	1.6.2	13-14
<b>अध्याय-2</b>		
<b>राज्य के वित्त</b>		
प्रमुख राजकोषीय संचय में मुख्य परिवर्तन	2.1	15
निधियों के स्रोत एवं उपयोग	2.2	15-16
राज्य के संसाधन	2.3	17-29
राज्य की प्राप्तियां	2.3.1	17-18
राजस्व प्राप्तियां	2.3.2	19-27
पूंजीगत प्राप्तियां	2.3.3	27-28
संसाधन जुटाने में राज्य का निष्पादन	2.3.4	28-29
संसाधनों का अनुप्रयोग	2.4	29-41
व्यय की वृद्धि एवं संरचना	2.4.1	29-31
राजस्व व्यय	2.4.2	31-36
पूंजीगत व्यय	2.4.3	36-40
व्यय प्राथमिकताएं	2.4.4	40-41
प्रयोजन शीर्ष-वार व्यय	2.4.5	41
लोक लेखा	2.5	41-48
निवल लोक लेखा शेष	2.5.1	41-42
आरक्षित निधियां	2.5.2	42-48
ऋण प्रबंधन	2.6	48-55
ऋण प्रोफाइल: घटक	2.6.1	49-53
ऋण प्रोफाइल: परिपक्वता और पुनर्भुगतान	2.6.2	53-55

	अनुच्छेद	पृष्ठ
<b>ऋण स्थिरता विश्लेषण</b>	<b>2.7</b>	56-61
उधार ली गई निधियों का उपयोग	2.7.1	57-58
गारंटियों की स्थिति-आकस्मिक देयताएं	2.7.2	59-60
रोकड़ शेष का प्रबंधन	2.7.3	60-61
<b>राज्य वित्त आयोग</b>	<b>2.8</b>	61-62
हस्तांतरण	2.8.1	61-62
<b>निष्कर्ष</b>	<b>2.9</b>	62-63
<b>सिफारिश</b>	<b>2.10</b>	64
<b>अध्याय-3</b>		
<b>बजटीय प्रबंधन</b>		
<b>बजट प्रक्रिया</b>	<b>3.1</b>	65-66
<b>विनियोजन लेखे</b>	<b>3.2</b>	66-67
<b>बजटीय तथा लेखांकन प्रक्रिया की प्रामाणिकता पर टिप्पणियां</b>	<b>3.3</b>	67-73
कानूनी प्राधिकार के बिना किया गया व्यय	3.3.1	67
अनावश्यक या अत्यधिक अनुपूरक अनुदान	3.3.2	67-68
निधियों का अत्यधिक/अनावश्यक पुनर्विनियोजन	3.3.3	68-69
निधियां अभ्यर्पित न करना तथा अधिक अभ्यर्पित करना	3.3.4	69
बचत	3.3.5	69-72
अत्यधिक व्यय और इसका नियमितीकरण	3.3.6	73
<b>बजटीय और लेखांकन प्रक्रिया की प्रभावशीलता पर टिप्पणियां</b>	<b>3.4</b>	73-78
बजट प्रक्षेपण तथा अपेक्षा एवं वास्तविकता के मध्य अंतर	3.4.1	73-75
बजट और वास्तविक व्यय में प्रमुख नीतिगत घोषणाएं	3.4.2	75-76
निष्पादन से जुड़ा हुआ परिव्यय	3.4.3	76
व्यय की अधिकता	3.4.4	76-77
आकस्मिक निधि से अग्रिम	3.4.5	77-78
<b>चयनित अनुदानों की समीक्षा</b>	<b>3.5</b>	78-95
अनुदान संख्या 06-वित्त	3.5.1	78-80
अनुदान संख्या 13-स्वास्थ्य	3.5.2	80-87
अनुदान संख्या 32-ग्रामीण विकास एवं समुदाय	3.5.3	88-95
<b>अध्याय-4</b>		
<b>लेखों की गुणवत्ता और वित्तीय रिपोर्टिंग व्यवहार</b>		
<b>राज्य की समेकित निधि या सार्वजनिक लेखा से बाहर की निधियां</b>	<b>4.1</b>	97-100
भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण उपकर	4.1.1	97
हरियाणा ग्रामीण विकास निधि	4.1.2	98
हरियाणा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट बोर्ड	4.1.3	98-99
हरियाणा अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट बोर्ड	4.1.4	99-100
ब्याज वहन करने वाले जमाओं के प्रति ब्याज के संबंध में देयता का निर्वहन न करना	4.2	100
<b>बजट से बाहर उधार</b>	<b>4.3</b>	100-101

	अनुच्छेद	पृष्ठ
राज्य कार्यान्वयन एजेंसियों को सीधे हस्तांतरित निधियां	4.4	101
स्थानीय निधियों की जमा राशि	4.5	101
उपयोगिता प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने में विलंब	4.6	102-104
अनुदान प्राप्त करने वाले संस्थान को "अन्य" के रूप में दर्ज करना	4.6.1	103-104
सार आकस्मिक बिल	4.7	104
व्यक्तिगत जमा खाते	4.8	104-105
लघु शीर्ष-800 का अंधाधुंध उपयोग	4.9	105-106
उंचत एवं प्रेषण के अंतर्गत बकाया शेष	4.10	106-107
विभागीय आंकड़ों का मिलान	4.11	107
नकद शेष का मिलान	4.12	107-108
जमा कार्यों के लिए अग्रिमों पर ब्याज का लेखांकन न करना	4.12.1	108
लेखांकन मानकों की अनुपालना	4.13	108-109
लेखों के संकलन से संबंधित मुद्दे	4.14	109
प्राप्तियां	4.14.1	109
ऋणों एवं अग्रिमों का मिलान	4.14.2	109
प्रमाणीकरण के लिए स्वायत्त निकायों के लेखों के प्रस्तुतीकरण में विलंब	4.15	109-110
लेखों को प्रस्तुत न करना/प्रस्तुत करने में विलंब	4.16	110
विभाग द्वारा प्रबंधित वाणिज्यिक उपक्रम	4.17	110-111
लेखों की समयबद्धता और गुणवत्ता	4.18	111
दुर्विनियोजन, हानियां, चोरी, इत्यादि	4.19	111-112
राज्य के वित्त पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों पर अनुवर्ती कार्रवाई	4.20	113
निष्कर्ष	4.21	113-114
सिफारिशें	4.22	114
<b>अध्याय-5</b>		
<b>राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम</b>		
सरकारी कंपनी की परिभाषा	5.1	115
लेखापरीक्षा अधिदेश	5.2	115-116
राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम तथा राज्य के सकल राज्य घरेलू उत्पाद में उनका योगदान	5.3	116-117
राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों में निवेश एवं बजटीय सहायता	5.4	117-118
राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों में इक्विटी होल्डिंग और ऋण	5.4.1	117
बजटीय सहायता	5.4.2	117-118
राज्य सार्वजनिक क्षेत्र उद्यमों में इक्विटी निवेश का बाजार पूंजीकरण	5.4.3	118
विनिवेश, पुनर्गठन और निजीकरण	5.4.4	118
राज्य सार्वजनिक क्षेत्र उद्यमों से रिटर्न	5.5	118-120
राज्य सार्वजनिक क्षेत्र उद्यमों द्वारा अर्जित लाभ	5.5.1	118-119
राज्य सार्वजनिक क्षेत्र उद्यमों द्वारा लाभांश का भुगतान	5.5.2	119
नियोजित पूंजी पर रिटर्न	5.5.3	119-120

	अनुच्छेद	पृष्ठ
राज्य सार्वजनिक क्षेत्र उद्यमों द्वारा इक्विटी पर रिटर्न	5.5.4	120
<b>ऋण सर्विसिंग</b>	<b>5.6</b>	120-121
ब्याज कवरेज अनुपात	5.6.1	120-121
<b>हानि उठाने वाले राज्य सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम</b>	<b>5.7</b>	121-123
उठाई गई हानियां	5.7.1	121-122
राज्य सार्वजनिक क्षेत्र उद्यमों में पूंजी का क्षरण	5.7.2	122-123
<b>निवेश के वर्तमान मूल्य के आधार पर रिटर्न</b>	<b>5.8</b>	123-125
<b>राज्य सार्वजनिक क्षेत्र उद्यमों की लेखापरीक्षा</b>	<b>5.9</b>	125
<b>नियंत्रक-महालेखापरीक्षक द्वारा राज्य सार्वजनिक क्षेत्र उद्यमों के सांविधिक लेखापरीक्षकों की नियुक्ति</b>	<b>5.10</b>	125
<b>राज्य सार्वजनिक क्षेत्र उद्यमों द्वारा लेखों का प्रस्तुतीकरण</b>	<b>5.11</b>	125-127
समय पर प्रस्तुत करने की आवश्यकता	5.11.1	125-126
राज्य सार्वजनिक क्षेत्र उद्यमों द्वारा लेखों को तैयार करने में समयबद्धता	5.11.2	126
सांविधिक निगमों द्वारा लेखों को तैयार करने में समयबद्धता	5.11.3	127
<b>नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का पर्यवेक्षण - लेखों की लेखापरीक्षा और पूरक लेखापरीक्षा</b>	<b>5.12</b>	127-128
वित्तीय रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क	5.12.1	127
सांविधिक लेखापरीक्षकों द्वारा सरकारी कंपनियों के लेखों की लेखापरीक्षा	5.12.2	127
सरकारी कंपनियों के लेखों की पूरक लेखापरीक्षा	5.12.3	127-128
<b>नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की पर्यवेक्षण भूमिका का परिणाम</b>	<b>5.13</b>	128-129
कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143 के अंतर्गत सरकारी कंपनियों के लेखों की लेखापरीक्षा	5.13.1	128
सरकारी कंपनियों पर सांविधिक लेखापरीक्षकों के प्रतिवेदनों के पूरक के रूप में जारी नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की महत्वपूर्ण टिप्पणियां	5.13.2	128-129
<b>प्रबंधन पत्र</b>	<b>5.14</b>	129-130
<b>निष्कर्ष</b>	<b>5.15</b>	130
<b>सिफारिशें</b>	<b>5.16</b>	130-131

## परिशिष्ट

परिशिष्ट	विवरण	संदर्भ	
		अनुच्छेद	पृष्ठ
1.1	राज्य प्रोफाइल	1.1	133
1.2	31 मार्च 2022 को राज्य सरकार की संक्षेपित वित्तीय स्थिति	1.4.2	134
2.1	वर्ष 2021-22 हेतु प्राप्तियों एवं संवितरणों का सार	2.2	135-136
2.2	राज्य सरकार के वित्तों पर समय क्रम डाटा	2.3.2.1	137-138
2.3	राजस्व प्राप्तियों के कुछ प्रमुख शीर्षों में 31 मार्च 2022 तक राजस्व के बकाया	2.3.2.2 (iii)	139
2.4	वर्ष 2021-22 के लिए सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (विवरण संख्या 16 और 19) के अभिलेखों की तुलना में वित लेखे के अनुसार सरकारी निवेश	2.4.3.2 (ii)	140
2.5	कार्यान्वयनाधीन सार्वजनिक निजी साझेदारी मूलभूत संरचना परियोजनाओं का विवरण	2.4.3.2 (iii)	141-143
3.1	उन मामलों के विवरण, जिनमें अनुपूरक प्रावधान (प्रत्येक मामले में ₹ 50 लाख या अधिक) अनावश्यक सिद्ध हुए	3.3.2	144-145
3.2	प्रत्येक मामले में ₹ एक करोड़ से अधिक की निधियों के अधिक/अनावश्यक/अपर्याप्त पुनर्विनियोजन का विवरण	3.3.3	146-155
3.3	मार्च 2022 के अंत में ₹ 10 करोड़ से अधिक की निधियों के अभ्यर्पण का विवरण	3.3.4	156-157
3.4	विभिन्न अनुदानों/विनियोजनों की विवरणी, जहां प्रत्येक प्रकरण में बचत ₹ 100 करोड़ से अधिक थी	3.3.5 (i)	158
3.5	₹ 100 करोड़ से अधिक की बचत वाली योजनाओं का विवरण	3.3.5 (i)	159-163
3.6	उन योजनाओं का विवरण जिनमें पिछले तीन वर्षों के दौरान प्रावधान ₹ पांच करोड़ और अधिक तथा बचत कुल प्रावधान के 50 प्रतिशत से अधिक थी	3.3.5 (ii)	164-168
3.7	योजना निष्पादन से जुड़ा परिव्यय का विवरण जिसमें व्यय शून्य था	3.4.3	169-171
3.8	वर्ष की अंतिम तिमाही/माह में व्यय की अधिकता को दर्शाने वाले विवरण जहां व्यय ₹ 10 करोड़ से अधिक और कुल व्यय के 50 प्रतिशत से भी अधिक था	3.4.4	172
3.9	अनुदान संख्या 6-वित्त-संपूर्ण बजट प्रावधान का अभ्यर्पण	3.5.1.2 (iii)	173
3.10	पुनर्विनियोग आदेश के माध्यम से अभ्यर्पित निधियों का विवरण	3.5.1.2 (iv)	174
3.11	अनुदान संख्या 13-स्वास्थ्य के अंतर्गत अभ्यर्पित किए गए संपूर्ण प्रावधान के विवरण दर्शाने वाली विवरणी	3.5.2.3 (ii)	175
3.12	बचत के विवरण जो वर्ष 2021-22 के लिए अभ्यर्पित नहीं की गई थी	3.5.2.3 (ii)	176
3.13	अनावश्यक अनुपूरक अनुदान प्रदान की गई योजनाओं का विवरण	3.5.2.3 (iii)	177
3.14	31 मार्च 2022 को अभ्यर्पित की गई राशि के विवरण	3.5.2.3 (v)	178-181
3.15	31 मार्च 2022 तक लंबित उपयोगिता प्रमाण-पत्रों की सूची	3.5.2.3 (vi)	182

परिशिष्ट	विवरण	संदर्भ	
		अनुच्छेद	पृष्ठ
3.16	अनुदान संख्या 13-स्वास्थ्य के संबंध में उपयोगिता प्रमाण-पत्रों के विवरण जो 31 मार्च 2022 को बकाया थे	3.5.2.3 (vi)	183
3.17	डीडीओ के कारण केंद्र और राज्यवार ब्याज	3.5.2.3 (vii)	184
3.18	उन योजनाओं का विवरण जिनमें बचत 50 प्रतिशत से अधिक थी	3.5.3.2 (ii)	185-186
3.19	पिछले तीन वर्षों के दौरान नियमित बचत का विवरण	3.5.3.2 (iv)	187-189
3.20	उन प्रकरणों का विवरण जिनमें वर्ष 2021-22 का समस्त प्रावधान अभ्यर्पित किया गया था	3.5.3.2 (v)	190
3.21	केन्द्रीय प्रायोजित योजनाओं पर अर्जित ब्याज, जिसे संबंधित समेकित निधि को प्रेषित नहीं किया गया, के विवरण दर्शाने वाली विवरणी	3.5.3.2 (vi)	191
3.22	केन्द्रीय प्रायोजित योजनाओं पर अर्जित ब्याज, जिसे आईए द्वारा संबंधित समेकित निधि को प्रेषित नहीं किया गया था, के विवरण दर्शाने वाली विवरणी	3.5.3.2 (vi)	192
3.23	(i) अगले वित्तीय वर्ष में अग्रेषित बैंक बैलेंस का विवरण दर्शाने वाली विवरणी 2022-23 (ii) अगले वित्तीय वर्ष में अग्रेषित बैंक बैलेंस का विवरण दर्शाने वाली विवरणी 2022-23	3.5.3.2 (vii)	193-194
3.24	सरकारी लेखों के बाहर निधि जमा करने और राज्य को परिणामी ब्याज हानि का विवरण दर्शाने वाली विवरणी	3.5.3.2 (vii)	195
3.25	केंद्र प्रायोजित योजनाओं के खातों, जिन्हें बंद नहीं किया गया था अथवा शून्य शेष खाते में परिवर्तित नहीं किया गया था, का विवरण दर्शाने वाली विवरणी	3.5.3.2 (ix)	196
3.26	लंबित उपयोगिता प्रमाण-पत्र का विवरण दर्शाने वाली विवरणी	3.5.3.2 (x)	197
3.27	वित्तीय वर्ष के अंतिम दिन अभ्यर्पण की राशि का विवरण	3.5.3.2 (xi)	198-199
4.1	राज्य में विद्यमान कार्यान्वयन एजेंसियों को सीधे हस्तांतरित निधियां	4.4	200
4.2	31 मार्च 2022 को देय, प्राप्त एवं बकाया उपयोगिता प्रमाण-पत्रों के विवरण	4.6	201-203
4.3	स्वायत्त निकायों द्वारा नियंत्रक-महालेखापरीक्षक को लेखे के प्रस्तुतीकरण तथा राज्य विधायिका को लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों के प्रस्तुतीकरण के विवरण दर्शाने वाली विवरणी	4.15	204-206
4.4	निकायों एवं प्राधिकरणों, जिनके लेखे प्राप्त नहीं हुए थे, के नाम दर्शाने वाली विवरणी	4.16	207-212
4.5	विभागीय तौर पर प्रबन्धित वाणिज्यिक एवं अर्ध-वाणिज्यिक उपक्रमों में लेखों के अन्तिमकरण एवं सरकारी निवेश की स्थिति दर्शाने वाली विवरणी	4.17	213
5.1	हरियाणा में राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों की सूची	5.3	214